विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, दुर्ग
दुर्ग क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर नाका दुर्ग–491001

क्र- 52 दि. 12/02/2026

प्रकरण क्रमांक CGRF/DURG/2026/13
दिनांक 06.01.2026

आवेदक

श्री खेमू लाल देवांगन
ग्राम – बरहापुर, वितरण केन्द्र ठेलका, तहसील धमधा
बी.पी. नं. 1007926150,
मो नं. 93299-58922

विरूद्ध

अनावेदकगण

कार्यपालन अभियंता, संभाग,
छ.स्टे.पा.डि.कं.लि., अहिवारा
सहायक अभियंता, उपसंभाग,
छ.स्टे.पा.डि.कं.लि., धमधा

विषय :– जला हुआ विद्युत मीटर नही बदलने के संबंध में।

आदेश

(आज दिनांक 04.02.2026 को पारित किया गया)

1. विवाद का संक्षिप्त विवरण

आवेदक श्री खेमू लाल देवांगन द्वारा दिनांक 01.01.2026 को Grievance Portal के माध्यम से शिकायत प्रस्तुत की गई कि उनके बी.पी. क्रमांक 1007926150 पर स्थापित विद्युत मीटर जल गया है, जिसके कारण नवीन मीटर स्थापित किया जाए। उक्त शिकायत को फोरम द्वारा प्रकरण क्रमांक 13/दुर्ग/2026 के अंतर्गत पंजीबद्ध कर सुनवाई हेतु स्वीकार किया गया।

दिनांक 21.01.2026 को प्रकरण की सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान आवेदक अनुपस्थित रहे, जबकि अनावेदकों की ओर से श्री अनिल कुमार धनकर, सहायक अभियंता, उपसंभाग धमधा उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया।

अनावेदकों ने अपने उत्तर में अवगत कराया कि शिकायत प्राप्त होने के उपरांत उपभोक्ता के परिसर का निरीक्षण किया गया, जिसमें स्थापित स्मार्ट मीटर जला हुआ पाया गया। नवीन स्मार्ट मीटर स्थापित करने हेतु AMISP GENUS को दिनांक 05.01.2026 को कार्यादेश प्रेषित किया गया तथा दिनांक 07.01.2026 को उपभोक्ता के परिसर में नया स्मार्ट मीटर स्थापित कर दिया गया।

अनावेदकों ने यह भी अवगत कराया कि कनिष्ठ अभियंता, वितरण केन्द्र ठेलका द्वारा उपभोक्ता को मीटर प्रतिस्थापन की सूचना पत्र के माध्यम से प्रदान की गई, जिसकी प्राप्ति पर उपभोक्ता द्वारा हस्ताक्षर भी किए गए हैं। उक्त संबंध में आवश्यक दस्तावेज फोरम के समक्ष प्रस्तुत किए गए।

2. फोरम का निष्कर्ष

फोरम ने प्रकरण के अभिलेखों, अनावेदकों द्वारा प्रस्तुत उत्तर एवं उपलब्ध दस्तावेजों का परीक्षण किया। अभिलेखों से यह स्पष्ट है कि शिकायत प्राप्त होने के पश्चात वितरण कंपनी द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए उपभोक्ता के परिसर में जले हुए स्मार्ट मीटर को हटाकर दिनांक 07.01.2026 को नया स्मार्ट मीटर स्थापित कर दिया गया है। मीटर प्रतिस्थापन की सूचना उपभोक्ता को विधिवत प्रदान की गई है, जिसकी पावती भी अभिलेख पर उपलब्ध है।

अतः यह स्पष्ट है कि आवेदक की शिकायत का निराकरण सुनवाई के दौरान ही कर दिया गया है तथा वर्तमान में विवाद का कोई कारण शेष नहीं है।

3. आदेश

आवेदक की शिकायत का निराकरण वितरण कंपनी द्वारा नवीन स्मार्ट मीटर स्थापित कर दिए जाने के कारण पूर्ण हो चुका है एवं

विद्युत आचार संहिता मे निर्धारित समय के अनुसार किया गया है

1. अतः प्रकरण में कोई अन्य विवाद शेष न होने से प्रकरण क्रमांक 13/दुर्ग/2025 का निराकरण (Disposed of) किया जाता है।
2. प्रकरण में अनावेदकों के विरुद्ध किसी प्रकार की अतिरिक्त कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
3. उपरोक्त आदेश फोरम द्वारा विधिवत पारित किया जाता है।
4. प्रकरण फोरम के समक्ष प्रस्तुत तथ्यों एवं प्रतिवेदनों के आधार पर निराकृत।

5. यदि शिकायतकर्ता/आवेदक फोरम द्वारा पारित उक्त आदेष से असंतुष्ट हो तो माननीय विद्युत लोकपाल रायपुर के समक्ष इस आदेश की प्राप्ति की तिथि से 45 दिनों के भीतर अपील दायर कर सकता है।

(ममता कश्यप)
सदस्य
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम दुर्ग

(पी.वी. सजीव)
अध्यक्ष
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम दुर्ग